



राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

राजस्थान में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में
पार्श्व प्रवेश पद्धति से डिप्लोमा तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में
ऑनलाईन प्रवेश आवेदन के लिये विवरणिका

सत्र 2024-25

संदर्भ सूची (Index)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रवेश के लिये सामान्य दिशा निर्देश	1-3
3.	प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं	3-4
4.	प्रवेश में प्राथमिकता (Preferential categories)	4-5
5.	प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण श्रेणी -(A) (Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/- MBC (Non Creamy Layer)/ EWS (Economical Weaker Section) श्रेणी -(B) (EXS(a)/ EXS(b)/ EXS(c)/EXS(d) (For Candidates belonging to military services only as per norms) श्रेणी -(C) (Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH)) श्रेणी -(D) (Widow/Divorce) श्रेणी -(E) (Single Mother dependent)	5-8
6.	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (Tuition Fee Waiver Scheme)	8
7.	स्ववित्त पोषित आधार पर प्रवेश	8
8.	योग्यता सूची	8-9
9.	प्रथम आवंटन	9
10.	रिपोर्टिंग की प्रक्रिया	10
11.	अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना	10
12.	नोडल सेन्टर पर रिपोर्टिंग	10
13.	द्वितीय आवंटन	10
14.	अन्तिम महाविद्यालय में रिपोर्ट करना	10
15.	इन्टरनल स्लाईडिंग	10
16.	नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण पत्र	10-11
17.	शुल्क	11
18.	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर में नामांकन	12
19.	छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क	12
20.	सामान्य सूचनाएं	12-13
	शाखा श्रेणी - सारणी-1	14-15
	शुल्क सारणी - 3	16
	छात्रावास शुल्क सारणी - 4	17
	डिप्लोमा पार्श्व प्रवेश सोशल मीडिया सूचना (2024-25)	18
	अन्तिम सीट मैट्रिक्स - सारणी-2	
	परिशिष्ट प्रारूप-परिशिष्ट-I से XI	
	ऑनलाईन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-XII	

1. प्रस्तावना :

राज्य में वर्तमान में लगभग कुल 119 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी लगभग कुल प्रवेश क्षमता 23,836 विद्यार्थी हैं। इनमें से 48 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 01 केन्द्र सरकार संस्थान एवं 70 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। निजी क्षेत्र में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 05 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के अन्तर्गत संचालित हैं। जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 747 विद्यार्थी है। इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं इन्हें प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में इन्जीनियरिंग ब्रांचों में सिविल, सिविल-कन्सट्रक्शन, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मैकेनिकल (ऑटोमोबाईल), मैकेनिकल (रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग), मैकेनिकल (प्रोडक्शन), इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स (फाईबर ऑप्टिक्स), इन्सट्रुमेंटेशन, कम्प्यूटर साईंस, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, ब्रान्चों में डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जाते हैं। "सत्र 2021-22 से 04 नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा मण्डोर (जोधपुर), नॉवा (नागौर), उच्चैन (भरतपुर) एवं पिलानी (झुझुनु) प्रारम्भ किये गये है। जिनमे 06 नवोदित पाठ्यक्रम यथा साईबर फोरेंसिक एवं इन्फोमेशन सिक्यूरिटी, मेकाट्रॉनिक्स, ओटोमेशन एण्ड रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एण्ड एन्वायरमेन्टल इंजी. तथा क्लाउड कम्प्यूटिंग एण्ड बिग डेटा ब्रांचों में प्रारम्भ किये गये है। इनके पाठ्यक्रमों का निर्धारण एवं परीक्षाओं का आयोजन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है।

इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं एवं उच्च अध्ययन के लिये इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य हो जाता है। डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के रोजगार के लिये इन्डस्ट्री-इन्स्टीट्यूट इन्टरैक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में केम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। लार्सन एण्ड टूब्रो, एस्सार, जे.एस.डब्ल्यू, एच.सी.एल., डेन्सो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, आयशर, होण्डा, हीरो, जे.सी.बी., सुजलोन, हिटावी, डेकन, हिरोकार्प, पोनवेल, टाटापॉवर, जे.सी.बी. बी.के.टी., वंडर, अल्ट्राटेक, बिरला, एल.एम.जे., कपारो मारुति, सुब्रोस इत्यादि अनेक कम्पनियां प्लेसमेंट में भाग लेती आ रही हैं।

इस विवरणिका में सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आनलाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों का समावेश किया गया है। आवेदक इस विवरणिका का भली भाँति अध्ययन कर आवेदन करें।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 23 राजकीय सहशिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि। प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य अनुदेश निम्नानुसार है :-

2. प्रवेश के लिये सामान्य दिशा निर्देश :

- 2.1 डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु नोडल एजेन्सी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मैट्रिक्स) सारणी-2 में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2024-25 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं, ब्रान्च व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली संचालित हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य पोषित एवं स्व-वित्त पोषित योजना के तहत स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश किये जा रहे हैं। इनमें अध्ययन हेतु दिये जाने वाले वार्षिक शुल्क का विवरण सारणी-3 पर उपलब्ध है एवं शुल्क प्रतिवर्ष दो किश्तों में लिया जायेगा।

- 2.2 **आवेदन करना:-** डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को राजस्थान हायर एज्युकेशन पोर्टल hte.rajasthan.gov.in के **home Page** में **admission Tab** में **Department of Technical Education** में **Polytechnic Admission** के अन्तर्गत **Lateral Admission Tab** पर आवेदन करते हुये ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान **निर्धारित शुल्क रु. 300/-** पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुये आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र SUBMIT होने पर आवेदक को इसकी सूचना ई मेल/मैसेज से प्राप्त होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं आप्शन फार्म भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया इस विवरणिका में परिशिष्ट-XII पर उपलब्ध है।
- 2.3 **ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर Submit करने से पूर्व आवेदन पत्र (Application Form) ऑनलाइन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिये दिशा निर्देश तथा इस विवरणिका में शामिल दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन करें और ऑनलाइन आवेदन-पत्र का हर कॉलम दिशा निर्देश के प्रत्येक पैरा का अध्ययन करने के पश्चात् सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में सामान्य चूक आपको प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।**
- 2.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक सूचनायें अपनी दसवीं की अंकतालिका, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अंक तालिका, सीनियर सैकण्डरी की अंक तालिका, आई.टी.आई. की अंक तालिका एवं आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें।
- 2.5 **ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाइन Submit करें एवं उसका प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।**
- 2.6 आपके किसी श्रेणी विशेष से सम्बन्ध न रखते हुए भी या प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र नहीं होते हुए भी आवेदन-पत्र के निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज करना दुर्भावना पूर्वक प्रवेश में अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से किया गया कृत्य माना जावेगा, जो इस प्रवेश हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।
- 2.7 इस प्रवेश के निमित्त राज्य सरकार व प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश आदि लागू होंगे।
- 2.8 डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी शाखा में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकता/सकती है।
- 2.9 अस्थाई योग्यता सूचियां **विभागीय वेबसाईट <http://dte.rajasthan.gov.in/Polytechnics/Admission>** एवं राजस्थान हायर एज्युकेशन पोर्टल hte.rajasthan.gov.in के **Home Page** में **Admissions Tab** पर भी उपलब्ध कराई जायेगी यदि अस्थाई योग्यता सूची के योग्यता क्रम में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश कार्यालय, **प्रधानाचार्य एवं संयोजक (पार्श्व प्रवेश), राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शिवबाड़ी रोड, सादुल गंज, बीकानेर** से संपर्क कर आपत्ति दर्ज कराये।

- 2.10 डॉ. आर.के. राघवन की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 की क्रियान्वित के आदेशानुसार **रैगिंग लेना कानून अपराध है**। यदि कोई भी छात्र/छात्राएँ संस्थान, संस्थान प्रांगण, छात्रावास एवं संस्थान के बाहर रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्यो द्वारा undertaking प्राप्त की जायेगी। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्थान से निष्कासित करते हुए नामांकन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
- 2.11 विभिन्न संस्थानों में कक्षाएँ दिनांक **12.08.2024** से प्रारम्भ होने की संभावना है।
- 2.12 सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश “केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया” (Centralized Admission System) से किये जाते हैं।
- 2.13 इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष की है। पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया से नव प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) हेतु ही किया जायेगा।
- 2.14 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रवेश “**प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर**” की परीक्षाओं की सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत किये जायेंगे।
- 2.15 अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रत्येक ब्रांच में पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश-क्षमता के **10 प्रतिशत** स्थानों पर प्रवेश दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष प्रवेश के उपरान्त रिक्त रही सीटों (Vaccant Seats) को भी सम्मिलित किया जायेगा। जिसकी विस्तृत जानकारी **सीट मैट्रिक्स सारणी-2** में दर्शाई गई है। रिक्तियों का निर्धारण नामांकन के पश्चात् रिक्त रहे स्थानों से की जायेगी। इस वर्ष के प्रवेश के लिये प्रस्तावित प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स सारणी-2 में दर्शाया गया है।
- 2.16 किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की किसी ब्रांच में प्रवेश हो जाने के पश्चात **तृतीय वर्ष** में स्थानान्तरण विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाना संभव होगा –
- (i) केवल राजकीय पॉलिटेक्निक के राज्य पोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के तृतीय वर्ष में अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक में स्थानान्तरण, उसी ब्रांच में **स्थान रिक्त होने पर** संभव होंगे।
- (ii) निजी व निजी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में **सम्भव नहीं** होगा।
- (iii) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में सम्भव नहीं होगा।
- (iv) पार्श्व प्रवेश पद्धति से द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण अगले सत्र तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में स्थान रिक्त होने पर ही संभव होंगे।

3. प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएँ :

(क) प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है:

अ. **10th + (2 years ITI/Equivalent)** shall be eligible for admission in second year Diploma Course(s) in **ANY** branch of Engineering and Technology.

or

ब. **Passed 10+2** examination with Physics/ Mathematics/ Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/

Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship (**Refer Table-1 for branch specific mandatory courses**)

or

स. 12th Science with Technical Vocational / Technical
(or equivalent vocational training with level 3.5)

or

द. Diploma Engineering

- नोट : 1. प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा निर्धारित किये गये **Bridge Course** का अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। (the student coming from diverse backgrounds shall study and pass the exam of suitable **bridge courses** decided by Board of Technical Education, Rajasthan, Jodhpur)
2. अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की (वेब साइटलिंग <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in> पर नवीनतम अनुदेशिका के अनुसार) एवं सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा समकक्ष निर्धारित की गई परीक्षाएँ ही मान्य होगी।

(ख) आयु सीमा :

प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिये कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

4. प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी (Preferential categories) :

प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी—

प्रथम प्राथमिकता श्रेणी : निम्न में से न्यूनतम एक या अधिक शर्त पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी

- (i) जिन अभ्यर्थियों ने प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ii) जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त ओपन बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो एवं राजस्थान का मूल निवासी हो।
- (iv) राजस्थान के किसी भी विद्यालय से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ऐसे अभ्यर्थी जो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण) राजस्थान, जोधपुर के प्रशासनिक नियंत्रण वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT/SCVT) से सम्बद्धता प्राप्त दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसायों में आई.टी.आई. या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक या सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स अथवा समकक्ष हो।
- (v) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- (vi) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान/Spouse।
- (vii) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड, कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान/Spouse जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो।

द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी : यदि उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद भी प्रवेश स्थान रिक्त रहते हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

प्रथम प्राथमिकता श्रेणी की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस योग्यता सूची (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) के अन्त में स्थान दिया जाता है।

5. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण :

सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा;

- श्रेणी-A:** Gen/SC/ST/OBC (Non-Creamy Layer)/ MBC (Non-Creamy Layer)/ EWS (Economical Weaker Section),
- श्रेणी-B:** EXS (a)/ EXS (b)/ EXS (c)/ EXS (d) (For Candidates belonging to military services only as per norms),
- श्रेणी-C:** Kashmiri Migrants (KM) / Kashmiri Pandits/ Kashmiri Hindu Families (Non-Migrants)/ Physically Handicapped (PH),
- श्रेणी-D:** Widow/ Divorcee तथा
- श्रेणी-E:** Single Mother Dependent

को आवश्यक निर्धारित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-III, IV, V, VI, IX, X, XI) में प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ संबंधित श्रेणी में दिया जाएगा। आरक्षण हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान उपरोक्त श्रेणियों पर लागू रहेंगे।

श्रेणी-A:

कुल प्रवेश क्षमता में से अनुसूचित जाति (SC) हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु 12 प्रतिशत*, नॉन क्रिमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण देय है।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 7(1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 08.03.2019 की अनुपालना में अति पिछड़े वर्ग (MBC) हेतु कुल प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी/सान्याअवि/2012/36546 जयपुर दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (MBC) की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिए आवेदन किया हो, को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) में सम्मिलित पांच जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी 5. गडरिया (गाडरी), गायरी को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर लाभ देय होगा।

आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) आरक्षण :

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(2) कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/14278 दिनांक 12.03.2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता की सीटों में से 10 प्रतिशत स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS) के लिए प्रवेश सामान्य वर्ग की सीटों में से आरक्षित होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 जयपुर दिनांक 06/05/2022 के अनुसार अगर एक बार Income & Asset Certificate (EWS) जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ-पत्र परिशिष्ट-XI के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate (EWS) को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

*कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.06.2018 में वर्णित टी.एस.पी. (TSP) एरिया में संशोधन के आधार पर एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया के अन्तर्गत संशोधन के आधार पर राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के **8 जिले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरोही जिले** के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में निर्धारित **12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत** आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में स्थित सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत की सीमा के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।

उपरोक्त सभी श्रेणियों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत* क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार **महिला अभ्यर्थियों** से भरे जायेंगे।

*तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(1)त.शि./2023 पार्ट-1 दिनांक 31.01.2024 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हेतु पूर्व में छात्राओं के प्रवेश के प्रावधित 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को सत्र 2024-25 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया।

श्रेणी-B: भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों : सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण :

राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों के आश्रितों हेतु **05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)** का प्रावधान किया गया है।

आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं **Discharge certificate and Pension Payment Order** के आवश्यक 2-3 मुख पृष्ठों की स्कैन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। ऑनलाइन सीट आवंटन के उपरान्त, आवंटी अभ्यर्थी/अभिभावक नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवायेगा। साथ ही उसे प्रवेश हेतु **आंशिक शुल्क रूपये 1000/- ई-मित्र/एच.टी.ई.** के लिंक में बैंक के पोर्टल पर जमा करवाना होगा। रिपोर्टिंग के लिये अभ्यर्थी निर्धारित **नोडल सेन्टर**, जिनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, में से किसी भी नोडल सेन्टर पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क चालान के साथ रिपोर्ट कर सकेगा।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक **F.No.6(1)/2017/D(Res.II) Dated May 21, 2018** के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों के आश्रितों को निम्नानुसार आरक्षण में वरियता प्रदान की जायेगी।

Priority I: Widows/Wards of Defence Personnel killed in action.

Priority II: Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III: Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV: Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V: Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards:

i. Param Vir Chakra

ii. Ashok Chakra

iii. Maha Vir Chakra

iv. Kirti Chakra

v. Vir Chakra

vi. Shaurya Chakra

vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal

viii. Mention-in-Despatches.

Priority VI: Wards of Ex-Servicemen

Priority VII: Wives of:

- i. defence personnel disabled in action and boarded out from service.
- ii. defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
- iii. **ex-servicemen and service** personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII: Wards of Serving Personnel.

Priority IX: Wives of Serving Personnel.

The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above-mentioned concessions.

50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys' category.

बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

श्रेणी-C:

राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों में निःशक्त अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के **4 प्रतिशत** स्थानों पर प्रवेश योग्यता के आधार पर दिये जायेंगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी में दर्शाये गये स्थानों में से **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)** के अनुसार भरे जायेंगे। उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त निःशक्तजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी कर सकते हों। निःशक्त अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण को अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

श्रेणी-D:

निर्धारित महिला श्रेणी अभ्यर्थियों के स्थानों में से **50 प्रतिशत** स्थान विधवा और तलाकशुदा महिलाओं से भरे जायेंगे, जिनके उपलब्ध न होने पर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

श्रेणी-E:

एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधान:-

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ अभ्यर्थियों को एस.ओ.एस. (SOS), अनाथ आश्रम के प्रमाण-पत्र या माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर **प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान** योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)** के अनुसार भरे जायेंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट-X)।

- 5.1 **पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Supernumerary)स्थानों पर प्रवेश के प्रावधान:**
कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के लिये प्रवेश स्थान
[Seat for Kashamiri Migrants / Kashmiri Pandits/ Kashmiri Hindu Families (Non Migrants)]

5% of total intake capacity over and above the sanctioned strength in each of the institutions will be reserved for Kashmiri Migrants / Kashmiri Pandits/ Kashmiri Hindu Families (Non Migrants). Sons/ Daughters of displaced persons from Jammu & Kashmir shall be eligible for admission to Diploma Courses. **The candidate will submit a certificate from the competent authority as a proof of being son/daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir.**

नोट :

- 1- उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए स्थान, पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरे जायेंगे। उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे।
- 2- बीएसएफ, सीआरपीएफ व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

6. शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (Tuition Fee Waiver Scheme) :

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान में उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अतिरिक्त स्थानों पर प्रवेश आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपय **8.00 लाख से कम होनी चाहिये।**

इस योजना का लाभ तभी दिया जायेगा जब संस्थान में संबंधित ब्रांच में प्रवेश अधिसंख्य स्थानों को सम्मिलित करते हुए पूर्ण हो जाते हैं। इस के अभाव में TFWS योजनान्तर्गत आवंटन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय प्रवेश के पश्चात रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के सभी चरणों के उपरान्त प्रवेश क्षमता के अनुसार पूर्ण प्रवेश हो जाने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा शाखा वार वरियता सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ही TFWS लाभ देय होगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशित/लाभान्वित अभ्यर्थी को द्वितीय वर्ष में ब्रान्च में परिवर्तन/द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में संस्थान स्थानान्तरण करवाता है तो TFWS योजना का लाभ देय नहीं होगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी अंतिम आवंटित महाविद्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिशिष्ट-III या IX में प्रस्तुत करेगा।

7. स्ववित्त पोषित आधार पर प्रवेश :

राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर भी प्रवेश **सारणी-2** के अनुसार दिये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस (सारणी-3 के अनुसार) जमा करवानी होगी।

8. योग्यता सूची :

(क) अभ्यर्थियों को निम्न परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होने पर, **निम्न क्रम में वरीयता** के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे-

- (i) Diploma Engineering
- (ii) 12th Science Vocational / Technical (or equivalent vocational training with level 3.5)
- (iii) 10th+(2 years ITI*) with appropriate specialisation

* दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT/SCVT) से सम्बद्धता प्राप्त **दो वर्षीय** इंजीनियरिंग व्यवसायों में आई.टी.आई. या राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र धारक या सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स अथवा समकक्ष हो। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश सम्बन्धित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता (मैरिट) के अनुसार होंगे।

- (iv) 10+2 from Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer & CBSE Delhi (or) Equivalent (or) Rajasthan domiciled candidate have passed 10+2 from recognized open board.

योग्यता सूची उपरोक्त वरीयताक्रमानुसार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जावेगी। जिन अभ्यर्थी ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (C.I.S.C.)/ इंडियन काउन्सिल फॉर सैकण्डरी एज्युकेशन (I.C.S.E.) से सीनियर सैकण्डरी से (10+2) परीक्षा पास की है, उसकी अंकतालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा। सीनियर सैकण्डरी से (10+2) परीक्षा में CGPA / GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंकों की गणना CGPA / GPA को 9.5 से गुणा करने के बाद योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा। कक्षा 12वीं की अंकतालिका में **आवश्यक विषय अगर अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण** किया है तो उसके अंक जोड़कर प्रतिशत निकालकर लिखा जाएगा।

- (ख) 10+(2 वर्षीय आई.टी.आई.) उत्तीर्ण के आधार पर प्रवेश चाहने वाले पात्र अभ्यर्थियों की I.T.I के प्राप्तकों के आधार पर वर्ग-वार योग्यता सूची बनाई जायेगी। वर्ग-वार योग्यता सूची के अनुसार ही अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा की किसी भी शाखा में प्रवेश दिया जायेगा।

- (ग) प्रवेश के लिए सामान्य एवं आरक्षित श्रेणियों की अलग-अलग वर्गवार योग्यता सूचियां बनाई जायेगी तथा सभी श्रेणियों की वर्गवार इकट्टी सूची भी बनाई जायेगी। यदि आरक्षित श्रेणी के स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

नोट :

- यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अहर्क परीक्षा में प्राप्तांक बराबर हों तो माध्यमिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के माध्यमिक परीक्षा में भी प्राप्तांक बराबर हों, पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त सभी समान होने पर योग्यता सूची में स्थान का निर्धारण अभ्यर्थी के **नाम की अंग्रेजी वर्णमाला** (English Alphabet) के क्रमानुसार किया जायेगा। (A से Z के क्रम में)
- योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा **ऑनलाईन भरे गये आवेदन के अनुसार** तैयार की जावेगी। उक्त प्रपत्र को भरने में अभ्यर्थी कोई त्रुटि करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

- (घ) प्रवेश हेतु तैयार की गयी अस्थाई योग्यता सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

- (ङ) यदि किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में उपर्युक्त स्थान पर सम्मिलित नहीं हो पाया है तो ऐसे अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से **संयोजक, केन्द्रीय पार्श्व प्रवेश** से निर्धारित तिथि तक सम्पर्क करना चाहिए, जिससे उसका नाम जांच करने के बाद उपर्युक्त स्थान पर सम्मिलित किया जा सके।

9. प्रथम आवंटन :

Ex-S / PH / Single Mother Child & dependent / विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ (अर्थात **क्षैतिज आरक्षण वाली सीटों**) की ऑनलाइन सीट-आवंटन के उपरान्त शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिये संस्था एवं ब्रांच का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा। यह आवंटन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है अर्थात choice exhausted हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जायेगा।

प्रथम आवंटन में उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरे जायेंगे। उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे।

10. रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया :

प्रथम आवंटन के उपरान्त वे अभ्यर्थी जिन्हें संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे **किसी भी** नोडल सेन्टर, जिनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, पर निर्धारित अवधि में **अभ्यर्थी/अभिभावक** उपस्थित होकर मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवायेगा। साथ ही उसे प्रवेश हेतु **आंशिक शुल्क रूपये 1000/- ई-मित्र/एच.टी.ई.** के लिंक में बैंक के पोर्टल पर जमा करवाना होगा। रिपोर्टिंग के लिये **अभ्यर्थी** निर्धारित **नोडल सेन्टर**, जिनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, में से **किसी भी नोडल सेन्टर** पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क चालान के साथ रिपोर्ट कर सकेगा। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

11. अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना :

प्रथम आवंटन में आवंटित स्थान से विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिया जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाएगी। अतः प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को स्थान एवं ब्रांच आवंटित हो जाती हैं तथा वे उच्च विकल्प पर प्रवेश चाहते हैं, वे रिपोर्टिंग के उपरान्त अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित प्रारूप में नोडल सेन्टर पर आवेदन कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेन्ट के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उच्च विकल्पों पर प्रवेश के लिये द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाता है। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

12. नोडल सेन्टर पर रिपोर्टिंग :

नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय **मूल प्रमाण पत्रों** की जांच के दौरान यदि उचित दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द होता है, तो उसे अतिरिक्त अवसर देने के लिये द्वितीय आवंटन में संयोजक, केन्द्रीय पार्श्व प्रवेश को प्रार्थना पत्र एवं सही दस्तावेज व्यक्तिशः (**अभ्यर्थी/अभिभावक**) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने पर शेष रहे स्थानों पर सम्मिलित किया जा सकेगा।

13. द्वितीय आवंटन :

प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर **choice exhausted and upward movement** अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है वे रिपोर्ट करने के लिये निर्धारित अवधि में नोडल सेन्टर पर उपस्थित होंगे। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता है, उन्हें सीधे ही अंतिम आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में रिपोर्ट करना जरूरी है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जायेगा।

14. अंतिम महाविद्यालय में रिपोर्ट करना :

समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन हुआ है, वे अंतिम आवंटित महाविद्यालय में **मूल दस्तावेज एवं शेष शुल्क** सहित निर्धारित अवधि में उपस्थित होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा।

15. इन्टरनल स्लाईडिंग :

संस्थान स्तर पर की जाने वाली इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाईन काउन्सलिंग के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित संस्थानों की अन्तर ब्रांच परिवर्तन का अवसर दिया जायेगा। इस हेतु ब्रांचवार रिक्त रहे स्थानों की गणना कर संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार मेरिट बना कर इन्टरनल स्लाईडिंग की जायेगी। शेष रहे स्थानों पर सामान्य मेरिट सूची बनाकर ब्रांच परिवर्तन किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि स्ववित्त पोषित (SFS) ब्रांच में प्रवेशित अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध राज्य पोषित (GAS) ब्रांच एवं राज्य पोषित ब्रांच अभ्यर्थी वाले स्ववित्त पोषित ब्रांच में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा।

16. नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण पत्र :

1. आयु प्रमाण पत्र (माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र)।

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण होने की मूल अंक तालिकाएं ।
3. आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए मूल प्रमाण पत्र
 - (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, **नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग** के अभ्यर्थियों के लिये सक्षम अधिकारी (जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। इस पत्र पर प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील होना आवश्यक है। अभ्यर्थी यह देख ले कि उसकी जाति राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अधिसूचित है जिसके न होने पर प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। इस प्रमाण पत्र में नाम एवं उपनाम वही होना चाहिये जो कि अंकतालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की **प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना** होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारूप, परिशिष्ट-VI में अन्डरटेकिंग देनी होगी। प्रमाण पत्र इस **अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक** मान्य होगा।

नोट : 1. यदि अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किया हुआ है तो वह मान्य होगा अन्यथा वह परिशिष्ट-V में उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

2. प्रमाण पत्रों में नाम व उपनाम अंकतालिका से भिन्न होने की स्थिति में परिशिष्ट-VIII में स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रार्थना पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

- (ii) सैनिक या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र **परिशिष्ट-IV** में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा जिस पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है।
- (iii) निःशक्त अभ्यर्थी का मेडीकल आर्थोपेडिक सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र ।
- (iv) विधवा महिला के लिए पति का मृत्युप्रमाण पत्र या तलाकशुदा महिला के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश की **स्वयं द्वारा प्रमाणित** प्रतिलिपि ।
- (v) कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) अभ्यर्थी हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (vi) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अभिभावक की नवीनतम आय प्रमाण पत्र की **स्वयं द्वारा प्रमाणित** फोटोप्रति
- (vii) एक बार **Income & Asset Certificate (EWS)** जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ-पत्र **परिशिष्ट-XI** के आधार पर पूर्व में जारी **Income & Asset Certificate (EWS)** को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

17. शुल्क :

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को सारणी-3 में दिये गये शुल्क महाविद्यालय में कक्षाएँ प्रारम्भ होने के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को नकद/ E-mitra / बैंक गेटवे द्वारा जमा कराना होगा। शिक्षण शुल्क में छूट के हकदार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शेष राशि जमा करानी होगी ।

- नोट:** (1) राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/आश्रित जो पूर्ण रूप से उन राज्य कर्मचारियों पर आश्रित हैं, जिनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। (परिशिष्ट-I/II में वर्णित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) प्रमाण पत्र की जांच के बाद प्रधानाचार्य, उस पर उचित आदेश प्रदान करेंगे। उक्त सुविधा केवल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के राज्य पोषित पाठ्यक्रमों में ही उपलब्ध होगी।
- (2) प्रवेश लेने के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश (द्वितीय वर्ष के दौरान ही) संस्थान छोड़ता है तो **अभ्यर्थी को A.I.C.T.E. के नियमानुसार शुल्क वापस लौटाया जायेगा। यदि अभ्यर्थी तृतीय वर्ष के दौरान या पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् संस्थान छोड़ता है तो अवधान द्रव्य के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।**

18. प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर में नामांकन :

1. राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा करवाई जाती है ।
2. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को मण्डल में नामांकन करवाने हेतु मंडल द्वारा निर्धारित नामांकन प्रपत्र (online) जमा कराना होगा तथा साथ में प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा भी करवाना होगा ।
3. नामांकन के समय प्रव्रजन प्रमाण पत्र न जमा करा पाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-VII के अनुसार स्व सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत कराना होगा ।
4. मण्डल द्वारा अभ्यर्थी का नामांकन कर उसे नामांकन संख्या दी जायेगी ।
5. मण्डल में नामांकन के उपरान्त अभ्यर्थी का मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र, जिस के आधार पर मण्डल में नामांकन किया गया है, वापिस नहीं लौटाया जायेगा ।
6. मण्डल में नामांकन हेतु नामांकन प्रपत्र भरने के उपरान्त अभ्यर्थी डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही जब भी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र अध्ययन हेतु जाता/जाती है तो उसके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर मण्डल द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।
7. अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा ।

19. छात्रावास सुविधा एवं शुल्क :

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोंही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर व श्रीगंगानगर एवं महिला पॉलिटेक्निक अजमेर व बीकानेर में विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को सारणी-4 में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी ।

छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी। निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

20. सामान्य सूचनाएं :

- (i) एक अच्छे विद्यार्थी के लिये आवश्यक अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की भावना एवं गुणों के विकास पर संस्थाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।
- (ii) यदि किसी विद्यार्थी को संस्था का अनुशासन भंग करता पाया गया अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल हो तो संस्था के प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता को उस विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश रद्द कर संस्था से निष्कासित करना, किसी भी अवधि के लिये संस्था से निलम्बित करना, आर्थिक दंड देना या एक संस्था से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित करने हेतु निदेशालय को अभिशंषा करना, चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि करना आदि सम्मिलित है ।

- (iii) यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरन्तर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । कक्षा से किसी भी अवधि की सामूहिक अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । ऐसे विद्यार्थी को 200/- रुपये का पुनः प्रवेश शुल्क जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर पुनः प्रवेश, प्रधानाचार्य अपने विवेकानुसार अगले दो उप सत्र तक दे सकेंगे । परन्तु विद्यार्थी को उस उप सत्र के दौरान पुनः प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त अनुपस्थिति के कारण यदि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो विद्यार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । उपरोक्तानुसार संस्थान में पुनः प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिया जावेगा ।
- (iv) यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा ।
- (v) प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा । संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे ।
- (vi) प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, बीकानेर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा, अन्यत्र नहीं । विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए ।
- (vii) विद्यार्थी संबंधित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ाई के वर्षों में संस्था के समय में किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं कर सकेगा ।
- (viii) विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, रजिस्ट्रेशन आदि हेतु मण्डल के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जायेगी ।
- (ix) विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने अथवा संस्थान छोड़ने के पश्चात् अवधान द्रव्य लौटाया जायेगा ।
- (x) किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु उनके टेलीफोन नम्बर निदेशालय की वेब साइट dte.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित है ।
- (xi) अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से पहले तय कर ले कि वह एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवर/रेंजर, युवा विकास केन्द्र/मानवाधिकार क्लब/महिला प्रकोष्ठ में से किसी एक गतिविधि में भाग लेगा ।

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान,
जोधपुर

सारणी – 1

Diploma Lateral Entry Level Qualification 10+2 for Admission in Branches

Sr. No	Major Disciplines	Mandatory Courses at 10+2 Level	Other relevant course(s) for this discipline
1	2	3	4
1.	Automation and Robotics	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
2.	Chemical Engineering	Phy, Chem & Maths	NA
3.	Civil (Construction) Engineering	Phy, Chem & Maths	NA
4.	Civil and Environmental Engineering	Phy, Chem & Maths	NA
5.	Civil Engineering	Phy, Chem & Maths	NA
6.	Cloud Computing and Big Data	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
7.	Computer Science & Engineering	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
8.	Cyber Forensics and Information Security	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
9.	Electrical Engineering	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
10.	Electronics (Fiber Optics)	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
11.	Electronics (Robotics)	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
12.	Electronics Engineering	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
13.	Information Technology	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
14.	Instrumentation Engineering	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
15.	Logistic Technology	Phy, Chem & Maths	NA
16.	Mechanical Engineering (Automobile)	Phy, Chem & Maths	NA
17.	Mechanical Engineering (Production)	Phy, Chem & Maths	NA
18.	Mechanical Engineering (Refrigeration and Air Conditioning)	Phy, Chem & Maths	NA
19.	Mechanical Engineering	Phy, Chem & Maths	NA

20.	Mechatronics	Phy, Maths	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
21.	Petroleum Engineering	Phy, Chem & Maths	NA
22.	Plastic Technology	Phy, Chem & Maths	NA
23.	Printing Technology	Phy, Chem	# For remaining single Course select any courses mentioned below excluding Courses in column 3
24.	Renewable Energy	Phy, Chem & Maths	NA

Physics/ Mathematics/ Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship

सारणी – 3

पार्श्व प्रवेश पद्धति से तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (सत्र 2024-25) शुल्क (रु.)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस		मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त नवम्बर में
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--			
2.	शिक्षण शुल्क	2075*	2075*	--	--	शिक्षण शुल्क	11000	11000
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	500	500	500	--	अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	3750	3750
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय शुल्क)	500	500	500	500	विकास शुल्क	4400	4400
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	500	500	500	500			
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	250	250	250	250			
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250			
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075			
	कुल	6350	6150	4275	3575	कुल	19150	19150
	कुल	12500		7850		कुल	38300	

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। एकल महिला के बच्चे/आश्रितों को शुल्क में छूट/छात्रवृत्ति के लाभ के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(21)त.शि.2015 जयपुर, दिनांक 20.07.2015 में वर्णित एकल महिला के बच्चे/आश्रितों को छूट/छात्रवृत्ति के लाभ दिए जाएंगे।

नोट:

- उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
- निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।

सारणी – 4
छात्रावास शुल्क (रु.)

क्र. सं.	मद		राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान			
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त		
	1		2	3		
1.	कमरे का किराया (प्रति विद्यार्थी)	सिंगल सिटेड	(क) राजकीय खाता			
			800	800		
			* डबल सिटेड	500	500	
			⇔ ट्रिपल सिटेड	300	300	
2.	छात्रावास का अवधान द्रव्य		(ख) अराजकीय खाता			
			2000	--		
			3.	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन	1000	--
			4.	छात्रावास मैस सिक्यूरिटी	--	--
			5.	पानी के खर्च का शुल्क	⇐	⇐
			6.	बिजली के खर्च का शुल्क	⇐	⇐
			7.	सामान्य कोष्ठ शुल्क	500	500
			8.	उपकरण व बर्तनों की मरम्मत एवं खरीद शुल्क	800	800

⇐ बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों में समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा ।

* दो छात्रों वाला कमरा

⇔ तीन छात्रों वाला कमरा

नोट : उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः जमा कराई जाने वाली फीस के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें ।




राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

:: डिप्लोमा पार्श्व प्रवेश सोशल मिडिया सूचना (2024-25) ::

तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DTE), राजस्थान, जोधपुर के इंजीनियरिंग डिप्लोमा में द्वितीय वर्ष (पार्श्व प्रवेश) 2024-25 (Lateral Entry Admission) से सम्बन्धित समस्त सूचना/अलर्ट अपने मोबाइल पर तुरंत प्राप्त करने के लिए निम्न सोशल मीडिया लिंक से जुड़ें एवं पार्श्व प्रवेश के इच्छुक अन्य अभ्यर्थियों को भी सूचित करें।

<p>टेलीग्राम चैनल लिंक :</p> <p>https://telegram.me/dteLateral</p> <p>इंजी. डिप्लोमा पार्श्व प्रवेश (2nd year) के लिए योग्यता :</p> <p>12वीं पास या 10वीं + 2 वर्ष की ITI पास या इंजिनियरिंग डिप्लोमा पास</p>	 <p>@DTELATERAL</p>
---	---

फीस/शुल्क प्रति वर्ष :

₹ 12,500 राजकीय पॉलिटैक्निक की GAS ब्रांच ₹ 38,300 राजकीय पॉलिटैक्निक की SFS ब्रांच ₹ 38,300 निजी पॉलिटैक्निक की सभी ब्रांच	<ul style="list-style-type: none">• फीस प्रति वर्ष दो किस्तों में ली जाएगी• छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार के नियमानुसार
---	---

नोट: समस्त अभ्यर्थियों/अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक उपरोक्त सोशल मीडिया से जुड़े रहे ताकि समय समय पर प्रवेश सम्बंधित सूचनाएं तुरंत प्राप्त होती रहें।

प्रधानाचार्य एवं संयोजक

केन्द्रीय पार्श्व प्रवेश (2nd Y) सत्र 2024-25

राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बीकानेर-334003

Phone: [0151-2970273](tel:0151-2970273) , [0151-2542064](tel:0151-2542064)

Email: dte.Lateral@rajasthan.gov.in